कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)

MB- 8544411411
deokaimur.edn@gmail.com

आदेश

शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 755 दिनांक 28.07.2021 के आलोक में छठा चरण शिक्षक नियोजन के प्रक्रियान्तर्गत द्वितीय चक्र के कॉन्सिलिंग की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक दिशा–निदेश एवं नियोजन संबंधी गतिविधि का निर्धारण किया गया है। द्वितीय चक्र कॉउन्सिलिंग के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित नियोजन इकाईयों को निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं।

1. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 587/प्रशा0 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन 2019–20 के द्वितीय चक्र के कॉउन्सिलिंग हेतु नियोजन इकाईवार तिथि एवं स्थल का निर्धारण किया गया है। (छायाप्रति संलग्न्) सभी नियोजन इकाई निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व काउन्सिलिंग हेतु सभी तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करेगें।
2. सभी नियोजन इकाई कॉउन्सिलिंग तिथि को पूर्वाह्न 08 बजे तक अपने सभी कर्मियों के साथ निर्धारित कैम्प स्थल पर उपस्थित हो जायेगें तथा काउन्सेलिंग कक्ष के सामने/बाहर दिवाल पर मेधा सूची एवं विषयवार/कोटिवार रिक्ति का प्रकाशन करायेगें।
3. प्रथम चक्र के कॉन्सिलिंग के क्रम में कतिपय नियोजन इकाईयों द्वारा आरक्षण रोस्टर एवं कोटिवार रिक्ति के संबंध में पृच्छाएं की गयी थी। इस संबंध में अंकित करना है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के पत्रांक 1511/स्था0 दिनांक 26.08.2020 से सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी पंचायत सचिव को नियोजन इकाईवार/विषयवार/कोटिवार रिक्ति की सूचना भेजी गयी थी। पुनः 28.07.2021 को उप विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विषयवार/कोटिवार रिक्ति के बारे में अवगत कराया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु विषयवार कोटिवार रिक्ति इस आदेश के साथ संलग्न् है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव को निदेश दिया जाता है कि अभ्यर्थियों की कॉन्सिलिंग निर्धारित विषयवार/कोटिवार रिक्ति के सापेक्ष उनके मेधा क्रम के अनुसार करते हुए चयन सूची जारी करना सुनिश्चित करेगें। (विषयवार/कोटिवार रिक्ति संलग्न्)
4. **समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत जहानाबाद, प्रखण्ड कुदरा को नगर पंचायत कुदरा के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है। अतः विभागीय निदेश के आलोक में ग्राम पंचायत जहानाबाद कुदरा के सभी रिक्तियों का नियोजन द्वितीय चक्र में स्थगित रहेगा। विभाग से स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त होने के उपरांत नियोजन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।**
5. समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड रामपुर के अंग्रेजी विषय के अंतिम मेधा सूची में त्रुटि पाया गया है। जिसमें संशोधन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामपुर को निदेश दिया गया है। चुकि नियोजन इकाई द्वारा अंग्रेजी विषय का संशोधित अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन निर्धारित समय पर नहीं किया जा सका है। अतः रामपुर प्रखण्ड के केवल अंग्रेजी विषय का नियोजन द्वितीय चक्र में स्थगित रहेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामपुर को

आदेश दिया जाता है कि इस आशय की सूचना अपने स्तर से भी निर्गत करना सुनिश्चित करेगें।

6. प्रथम चक्र के काउन्सिलिंग के क्रम में ग्राम पंचायत गारा द्वारा अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन नहीं कराये जाने की वजह से उक्त नियोजन इकाई को प्रथम चक्र के काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया था। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गारा द्वारा अंतिम मेधा सूची का अनुमोदित करा कर प्रकाशित कर दिया गया है। अतः पंचायत गारा, प्रखण्ड नुआंव के छठे चरण शिक्षक नियोजन हेतु विज्ञापित 01 रिक्ति के सापेक्ष में दिनांक 13.08.2021 को नियोजन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। गारा पंचायत के अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग प्रखण्ड मुख्यालय, नुआंव स्थित जायसवाल उच्च विद्यालय नुआंव में उक्त तिथि को कराया जायेगा। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गारा, नुआंव को आदेश दिया जाता है कि मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने स्तर से भी सूचना देना सुनिश्चित करेगें साथ हीं नियमानुसार नियोजन की कार्रवाई करते हुए चयन सूची जारी करेगें।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 03.07.2021 की कंडिका (IV) के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा, वहां निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष देने का दायित्व संबंधित नियोजन इकाई का होगा। इसके पश्चात् स्वतंत्रता सेनानी जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता/पोती/नाती/नतीनी को यथा उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष काउन्सिलिंग कराया जायेगा। नियोजन इकाईवार/विषयवार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रिक्ति सुलभ संकेत हेतु संलग्न् है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पंचायत सचिव को आदेश दिया जाता है कि नियोजन इकाईवार/विषयवार दिव्यांगजनों का नियोजन बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 13062 दिनांक 12.10.2017 एवं अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 03.07.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें। सुलभ संदर्भ हेतु संकल्प ज्ञापांक 13062 दिनांक 12.10.2017 एवं 621 दिनांक 03.07.2021 संलग्न् है।

8. प्रथम चक्र के काउन्सिंलिंग प्रक्रिया एवं जारी चयन सूची की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि कतिपय नियोजन इकाईयों द्वारा निर्धारित समय अपराह्न 04:30 के बाद भी अभ्यर्थियों का काउन्सिंलिंग कराया गया। जिसके कारण अन्य अभ्यर्थियों द्वारा परिवाद भी दिया गया था। प्राप्त परिवाद के आलोक में वैसे नियोजन इकाईयों की कॉउ़न्सिलिंग को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 03.07.2021 की कंडिका (VI) के आलोक में काउन्सिलिंग का आयोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक आहूत किया जाय। काउन्सिलिंग तिथि को काउन्सिलिंग पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा Close करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के अवलोकनार्थ निश्चित रूप से उपस्थापित करायी जाय।

9. निदेशक प्रा0शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक 762 दिनांक 27.07.2021 के आलोक में काउन्सिलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउन्सिलिंग की जा रही हो, उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउन्सिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने की घोषणा माईक द्वारा कर दी जाय। शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाय और न हीं उनके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं।

10. कतिपय ग्राम पंचायतों के शिकायत पर नियोजन प्रक्रिया के विडियोग्राफी की जांच की गयी। जांच के क्रम में यह पाया कि सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया की विडियोग्राफी नहीं करायी गयी है साथ हीं विडियो फूटेज में काउन्सिलिंग की तिथि एवं समय भी प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इस संबंध में सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि विडियोग्राफी प्रारम्भ होने के पूर्व तिथि/समय की जांच आवश्य कर लिया जाय।

11. सभी नियोजन इकाईयों के सदस्य सचिव काउन्सिलिंग तिथि के पूर्व हीं कैम्प आयोजन हेतु पर्याप्त कर्मियों/शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते हुए उन्हे पहचान पत्र जारी कर देगें ताकि वैध कर्मी हीं काउन्सिलिंग प्रक्रिया में उपस्थित रहें। किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत रूप से अन्य व्यक्ति/कर्मी का प्रवेश काउन्सिलिंग कक्ष में वर्जित रहेगा।

12. संबंधित सभी नियोजन इकाई काउन्सिलिंग के क्रम में किसी भी प्रकार के सहयोग अथवा जानकारी के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना कैमूर (8340181969) अथवा अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल नं0 8544411411 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

13. दिनांक 05.08.2021 से 10.08.2021 तक नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी संबंधित प्रखण्ड नियोजन इकाईयों के लिए निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी। काउन्सेलिंग में विभागीय नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा विभाग की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में श्री दयाशंकर सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, कैमूर एवं श्री अक्षय कुमार पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान कैमूर को प्राधिकृत किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि निर्धारित कान्सिलिंग तिथि को +2 उच्च विद्यालय में उपस्थित रह कर काउन्सिलिंग कार्य का पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेगें। जिन नियोजन इकाईयों द्वारा काउन्सिलिंग कार्य समाप्ति की घोषणा की जायेगी उनकी उपस्थिति पंजी को तत्क्षण Close करना सुनिश्चित करेगें।

4/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

Dyp
4/8/21

ज्ञापांक 613/2021 / भभुआ, दिनांक 04.08.2021 /

प्रतिलिपि– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् भभुआ/नगर पंचायत मोहनियां/सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति सभी अनुलग्नक सहित एन0आई0सी0 के वेवसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा करेगें।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, कैमूर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– निदेशक, प्रा0शिक्षा, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Dyp
4/8/21

4/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)